कर्नाटक राज्य और अन्य

बनाम

एसोसिएटेड प्रबंधन (सरकारी मान्यता प्राप्त बिना सहायता के अंग्रेजी माध्यम) प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय और अन्य।

(सिविल अपील संख्या-5166-5190/2013)

05 जुलाई, 2013

(पी. सतशिवम और रंजन गोगोई, जे.जे.)

शिक्षा: प्राथमिक शिक्षा-पहली से चौथी तक शिक्षा का माध्यम निर्धारित- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा ''इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पैरेंट्स एसोसिएशन'' के मामले में यह निर्धारित कर चुकी है कि शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा होना चाहिए या नहीं। यह उचित नही है कि कि इसी बिन्दु को समकक्ष पीठ द्वारा अन्य आधारों पर पुनः निर्णित किया जाए-साथ ही हस्तगत मामले में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका बच्चों के विकास पर दूरगामी प्रभाव पडेगा-साथ ही यह बिंदु न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के मौलिक अधिकारों से संबंधित है बल्कि आने वाली पीढ़ियों से भी संबंधित है-मामले के संवैधानिक महत्व को देखते हुए इसे निर्णय में वर्णित प्रश्नों के निर्धारण हेतु संवैधानिक पीठ को संदर्भित किया जाता है-वृहत पीठ को संदर्भित-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350(ए) के तहत दिए गए अनुदेश की पालना में कर्नाटक राज्य द्वारा शासकीय आदेश दिनांक 19.06.1989 द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम होने से ऐसे बच्चे जिन्होने कन्नड़ भाषा को प्रथम भाषा के रूप में नहीं चुना है, उन्हें द्वितीय भाषा के रूप में लेने हेतु आवश्यक किया गया। उक्त शासकीय आदेश ''इंग्लिश मीडियम स्टूडेंटस पैरेंट्स एसोसिएशन'' के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। तत्पश्चात् पूर्व में समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए कर्नाटक राज्य द्वारा दिनांक 29.04.1984 को एक शासकीय आदेश जारी किया गया जो दिनांक 22.04.1994 के आदेश द्वारा कक्षा एक से चौथी तक शिक्षा का माध्यम या तो मातृभाषा होगी या कन्नड़ होगी, को समस्त राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 1994 से 1995 से बाध्यकारी कर दिया गया। हालांकि कक्षा 2,3 व 4 में अध्यनरत विद्यार्थियों के लिए जिस भाषा में वे पढ़ रहे है, उसी में शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी गयी। यह भी आदेशित किया गया कि ऐसे विद्यालय जो मान्यता प्राप्त नहीं है एवं निर्धारित शर्तों का पालन नहीं कर रहे है उन्हें बंद कर दिया जाए। इस संबंध में प्रत्यर्थी प्राइमरी एण्ड़ सैकेण्डरी स्कूल एसोसिएशन के साथ ही अन्य विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गई। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिनांक 02.07.2008 को पारित आदेश द्वारा रिट याचिकाएं आंशिक रूप से स्वीकार की गई एवं दिनांक 29.04.1994 के

शासकीय आदेश को बरकरार रखते हुए खंड संख्या 2,3,6 और 8 को ऐसे विद्यालय जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नही थे या जो सरकार द्वारा नहीं चलाये जा रहे थे, पर लागू होने को रद्द कर दिया।

इससे व्यथित होकर कर्नाटक राज्य द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। साथ ही कर्नाटक राज्य के अन्य 15 निवासी जो स्वयं को प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होना बताते हुए हस्तगत बिषय में कि प्राथमिक शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में ही होनी चाहिए, गहरी रूचि होना जाहिर करते हुए रिट याचिका संख्या 290/2009 अंतर्गत अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान प्रस्तुत की एवं यह प्रार्थना की कि शासकीय आदेश दिनांक 29.04.1994 गैर अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय हेतु संवैधानिक रूप से विधि सम्मत है। अतः राज्य सरकार को उसका आदेश दिनांक 29.04.2004 को लागू करने हेतु आदेश पत्र जारी किया जाए। सिविल अपील संख्या 5191-5199/2013 कर्नाटक राज्य के शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा दायर की गई। जिसमें उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनांक 03.07.2009 को पारित आदेश जिसमें इस अपील के प्रत्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दिए जाने के निर्देश दिए गए थे, के विरूद्ध अपील की गई।

मामले को संवैधानिक पीठ को संदर्भित करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित-

1.1 हस्तगत मामला में उठाए गए आधारों का सार यह है कि क्या राज्य सरकार मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा की भाषा के रूप में लागू कर सकती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम से संबंधित मुद्दा, जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में उठाया गया वह ''इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पैरेंट्स एसोसिएशन'' में अछूता रहा है, जिसमें इस न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम के रूप में बरकरार रखा है। (पैरा 29 एवं 34) (465-B; 467-C)

संदर्भितः- ''इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एसोसिएशन विरूद्ध कर्नाटक राज्य एवं अन्य 1933(3) पूरक एस सी आर 934 = 1994(1) एस एस सी

1.2 हांलाकि यह भी सही है कि दिनांक 22.04.1994 एवं 29.04.1994 के आक्षेपित शासकीय आदेश, दिनांक 19.06.1989 के शासकीय आदेश के समान नही है। उक्त आक्षेपित आदेश पूर्व के आदेश में कुछ नए खण्ड जोड़ कर पुर्नगठित किए गए है, जो उच्च न्यायालय व इस न्यायालय के समक्ष विवाद का बिन्दु है। इसलिए राज्य यह कहने में आंशिक रूप से सही है कि आक्षेपित शासकीय आदेश दिनांक 22.04.1994/29.04.1994 एवं शासकीय आदेश दिनांक 19.06.1989 समान है, क्योंकि दोनों ही शासकीय आदेशों में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की जरूरत बताई गई है। हालांकि अतिरिक्त जोडे

गए खण्ड संख्या 2,3,6 एवं 8 बच्चे के मातृभाषा रूप में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने हेतु बाध्य करती है जिसे उच्च न्यायालय व इस न्यायालय के समक्ष गंभीरता से चुनौती दी गई है।(पैरा30)(465-E;466-C-E)

1.3 आक्षेपित शासकीय आदेश में नए जोड़े गए खंड़ों की वैद्यता निर्णित करते हुए उच्च न्यायालय के आगे इस प्रश्न को की क्या एक छात्र, एक अभिभावक या एक नागरिक के पास प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त चुनने का अधिकार है या नहीं व जिसे इंग्लिश मीड़ियम स्टूडेंट्स पैरेंटस एसोसिएशन केस में निर्णित नहीं किया गया था, को ही निर्णित कर दिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इंग्लिश मीड़ियम स्टूडेंट्स पैरेंटस एसोसिएशन के मामले में इस प्रश्न का कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, का निष्कर्ष दे दिया है, यह उचित नहीं होगा कि इसी बिन्दु को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा अन्य आधारों पर पुनः निर्णित किया जाए। अतः वृहत पीठ को भेजने हेतु यह एक उचित प्रकरण है। (पैरा 31-33) (466-E-H-;467-B)

1.4 इस प्रकरण में विद्यमान मुख्य बिन्दु का हमारे देश के बच्चे जो भविष्य के युवा है, के विकास पर दूरगामी प्रभाव है। इसी प्रकार भाषा के महत्व को भी कमतर नही आंका जा सकता है; राज्यों का पुर्नगठन मुख्य रूप से भाषा के आधार पर किया गया था। इसके अलावा इस मामले

में शामिल मुद्दा न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के मौलिक अधिकारों से संबंधित है बल्कि उन पीढ़ियों से भी संबंधित है जिनका अभी जन्म होना है। (पैरा 35) (467-D, E-F)

1.5 मामले के संवैधानिक महत्व को देखते हुए इसकी सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न् संविधान पीठ के विचारण हेतु प्रासांगिक है-

(i) मातृभाषा का क्या अर्थ है? यदि इसका आशय उस भाषा से है जिसमें बालक सहज हो, तो इसका निर्धारण कौन करेगा?

(ii) क्या किसी छात्र या अभिभावक या नागरिक के पास प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार है?

(iii) क्या मातृभाषा को लागू करने से संविधान के अनुच्छेद 14,19,29 एवं 30 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार प्रभावित होंगें?

(iv) क्या शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय मे सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त और निजी एवं गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय भी शामिल है?

(v) क्या राज्य के संविधान के अनुच्छेद 350ए के आधार पर भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा को चुनने के लिए बाध्य कर सकती है। (पैरा 36) (467-G- H-;468-A-D)

संदर्भित- महासचिव, भाषायी अल्पसंख्यक संरक्षण समिति विरूद्ध कर्नाटक राज्य ए आई आर 1989 कांत 226

संदर्भित न्याय निर्णयः

1933(3) पूरक एससीआर 934,	संदर्भित किया गया	पैरा 3
ए आई आर 1989 कांत 226	संदर्भित किया गया	पैरा 8

सिविल अपीलीय न्याय निर्णय: सिविल अपील संख्या 2013 का 5166-5190

कर्नाटक उच्च न्यायालय की रिट पीटिशन नंबर 14363/1994, रिट पीटिशन नंबर 14377, 15491, 19453, 22563/1994, 30645/1999, 25647, 18571, 19331, 17337, 18787, 19469, 20165, 17338/1994, रिट अपील संख्या 2415/1995, रिट पीटिशन नंबर 11785, 29540/1995, 22752,19434/1994, 900/2000, 17677, 19346/1994, 34369, 34684 और 34185/1996 में पारित साथ ही रिट पीटिशन (सी) नंबर 290/2009, सी.ए. नंबर 5191-5199 / 2013 निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.07.2008 से।

पी.पी राव, एच. सुब्रमन्य जाॅइस, के.एन. भट, टी.एस. दोआबिया, के.एम. नटराज, एएजी, अनिथा शेनाॅय, विसूर्ती विजय, के.वी. भारथी उपाध्याय, अश्वि कोल्टेमथ, मोहन वी. कटारकी, शैलेष मंडियाल, रवि आर.

एस., जगजीत सिंह छाबड़ा, पी.आर. रामासेष, सुनिता शर्मा, मनप्रीत सिंह दोआबिया, एस. एन. भट, टी.वी.रत्नम, के.वी. धनंजय, शेखर जी. देवासा, एम.पी. श्रीकांत, वी.एन. रघुपति, अनिता शेनाॅय, रामेष्वर प्रसाद गोयल, जी.आर. मोहन, प्रभा स्वामी, गुरूदत्त अंकोलकर, किरीट एस. जावली, अजीम ए. कालेबुद्दे, वाई. राजगोपाला राव, बी.के. पाल, पक्षकारान की ओर से।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया-

पी. सतशिवम न्यायमूर्ति-

1. सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई

विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 18139-18163/2008

2. ये अपीलें कर्नाटक उच्च न्यायालय बैंगलोर द्वारा दिनांक 02.07.2008 को पारित किया अंतिम निर्णय जो रिट याचिका संख्या 14363/1994 संबद्ध रिट याचिका संख्या 14377,15491, 19453, 22563, 25647, 18571, 19331, 17337, 18787, 19469, 20165, 17338, 22752, 19434, 17677, 19346/1994, रिट अपील संख्या 2415/1995, रिट याचिका संख्या 11785, 29540/1995 रिट पीटिशन संख्या 34396, 34684, 34185/1996 रिट पीटिशन नंबर 30645/1999 और रिट

पीटिशन नंबर 900/2000 जिनके द्वारा उच्च न्यायालय हस्तगत प्रत्यर्थियों की रिट याचिकाएं आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

3. संक्षिप्त तथ्य;

(a) संबंद्ध प्रबंधन, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय संघ है, को कर्नाटक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति है- उत्तरदाता जिसमें सम्मिलित कर्नाटक राज्य के मान्यता प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त, अंग्रेजी माध्यम, प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय दिनांक 19.06.1989 को कर्नाटक राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 350(ए) के अनुसरण में अपनी भाषा संबंधी नीति को शासकीय आदेश के माध्यम से उजागर किया और निर्दिष्ट किया कि प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी एवं ऐसे बच्चे जिन्होनें कन्नड़ को प्रथम भाषा के रूप में नहीं चुना है, उन्हें इसे द्वितीय भाषा के रूप में चुनने के लिए बाध्यकारी बनाया। उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष इंग्लिश मीड़ियम स्टूडेंट्स पैरेंट्स एसोसिएशन विरूद्ध कर्नाटक राज्य अन्य 1944(1) एसीसी 550 में चुनौती दी गई जिसमें इस कोर्ट में आदेश दिनांक 08.12.1993 के द्वारा शासकीय आदेश दिनांक 19.06.1989 को वैद्य घोषित करते हुए मामले में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया।

(b) उपरोक्त दिनांक 08.12.1993 के आदेश के प्रकाश में कर्नाटक राज्य ने दिनांक 22.04.1994 को एक संषोधित शासकीय आदेश जारी किया जिसमें पूर्व के आदेश दिनांक 19.06.1989 के आदेश द्वारा निर्धारित अपनी पॉलिसी की पुनः पुष्टि की। कर्नाटक राज्य के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को कन्नड़ माध्यम के विद्यालय में परिवर्तित करने में मौजूद कठिनाइयों को देखते हुए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बर्ष 1989 से लागू होने वाली पाॅलिसी का सहारा लिया। पूर्व में समस्त आदेशो को निरस्त करते हुए कर्नाटक राज्य के शासकीय आदेश दिनांक 29.04.1994 जारी किया जिसके तहत शैक्षणिक सत्र 1994-95 से राज्य में लागू होने वाली भाषा संबंधी नीति स्पष्ट की। उक्त आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 4 तक के लिए राज्य सरकार में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम या तो मातृभाषा होगी या कन्नड़ होगी जो शैक्षणिक सत्र 1994-95 से लागू है, हालांकि कक्षा 2,3, व 4 में अध्यनरत छात्रों को यह अनुमति दी गई की वे जिस भाषा में अध्यनरत है उसी भाषा में अध्यन जारी रख सकते है। यह भी आदेशित किया गया कि दी गई शर्तों का पालन न करने वाले सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय बंद कर दिए जाए।

(c) आक्षेपित शासकीय आदेश के अनुसरण में विभिन्न विद्यालयों को आदेश जारी किए गए व कहा गया कि वे शिक्षा का माध्यम परिवर्तित कर ले और इसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन कर लें। आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर विभिन्न भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक

संप्रदाय, अभिभावक, अभिभावक संघ, बच्चे अपने अभिभावकों द्वारा एवं बहुसंख्यकीय द्वारा चलाये जा रहे शैक्षणिक संस्थानों ने रिट याचिका दायर की जिनकी संख्या 14363/1994 संबंद्ध रिट याचिकाएं जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमें दिनांक 22.09.1994 एवं 29.04.1994 के शासकीय आदेशों की संवैधानिक वैधताओं को चुनौती दी गई और कहा गया कि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए),21,29(2) और 30(1) का हनन करने वाले है।

(d) उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिनांक 02.07.2008 के आदेश द्वारा रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और शासकीय आदेशों को वैध घोषित करते हुए शासकीय आदेश दिनांक 29.04.1992 के खंड़ 2, 3, 6 एवं 8 को सरकार से मान्यता प्राप्त या सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य पर लागू होना निरस्त कर दिया।

(e) इससे व्यथित होकर कर्नाटक राज्य द्वारा ये अपीलें विषेश अनुमति याचिका के रूप में इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

रिट याचिका (C) संख्या-290/2009

4. उक्त अपीलों के अतिरिक्त कर्नाटक राज्य के अन्य 15 निवासी जो स्वयं को प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होना बताते हुए हस्तगत बिषय

में कि प्राथमिक शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में ही होनी चाहिए, गहरी रूचि होना जाहिर करते हुए रिट याचिका संख्या 290/2009 अंतर्गत अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान प्रस्तुत की एवं यह प्रार्थना की कि शासकीय आदेश दिनांक 29.04.1994 गैर अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय हेतु संवैधानिक रूप से विधि सम्मत है। अतः राज्य सरकार को उसका आदेश दिनांक 29.04.2004 को लागू करने हेतु आदेश पत्र जारी किया जाए।

विषेष अनुमति याचिका (C) संख्या 15640-15648-2009

उपरोक्त याचिकाएं कर्नाटक राज्य के शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा दायर की गई है, जो इस मामले में अपीलार्थी हैं व कर्नाटक उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2009 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा उन्हें यह निर्देश दिए गए हैं कि अपील के लंबित रहने के दौरान, शुबोध्या विद्या संस्था एवं सरस्वती शिक्षा समिति (उत्तरदाता) के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए।

5. चूंकि अपील और रिट याचिका में मांगी गई राहत एक ही विषय-वस्तु से संबंधित है, इसलिए उन्हें वर्तमान आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

6. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पीपी राव, श्री एच. सुब्रमण्य जोइस और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील श्री मोहन वी. कटारकी और भारत संघ के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री टीएस दोआबिया को सुना।

7. कर्नाटक सरकार ने दिनांक 20.07.1982 के आदेश द्वारा निर्धारित किया कि प्राथमिक विद्यालय की पहली कक्षा से ही कन्नड़ एकमात्र पहली भाषा होगी। इस आदेश की संवैधानिक वैधता को भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और इसलिए, कन्नड़ को एकमात्र भाषा के रूप में निर्धारित किया गया है। जो शिक्षा पहली कक्षा से ही दी जानी चाहिए वह असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 29 और 30 का उल्लंघन है।

8. मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने महासचिव, भाषाई अल्पसंख्यक संरक्षण समिति बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 1989 कांत 226 मामले में सुनवाई की। सभी संबंधित पक्षों के दावे पर विचार करने के बाद और विभिन्न समितियों की राय में, पूर्ण पीठ ने दिनांक 25.01.1989 के आदेश द्वारा यह माना कि दिनांक 20.07.1982 का सरकारी आदेश इस हद तक

असंवैधानिक है कि इसने कर्नाटक राज्य के सभी बच्चों के लिए कन्नड़ को अनिवार्य और एकमात्र विषय बना दिया है। पहली कक्षा और उसमें उन याचिकाकर्ताओं को जिनकी मातृभाषा कन्नड़ नहीं थी, अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा से वंचित कर दिया। उक्त याचिकाकर्ताओं के साथ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा भी एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें अंग्रेजी भाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है क्योंकि उक्त संगठन के बड़ी संख्या में सदस्य ईसाई बन गए थे और इसलिए, उन्हें अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। उक्त अनुरोध को पूर्ण पीठ ने अस्वीकार कर दिया, हालांकि, राज्य को अपनी भाषा नीति बनाने की स्वतंत्रता दी गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के उक्त आदेश से व्यथित होकर, राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। हालाँकि, एक अपील दायर करने के बाद, राज्य सरकार ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि पहली से चौथी कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए और पूर्ण पीठ के फैसले के अनुरूप दिनांक 19.06.1989 को एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया कि पहली से चौथी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी, जबकि अपील इस न्यायालय के समक्ष लंबित थी।

9. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें 19.06.1989 के जीओ की संवैधानिक वैधता पर इस आधार पर सवाल उठाया गया कि पहली से चौथी कक्षा तक शिक्षा की एकमात्र भाषा के रूप में मातृभाषा का निर्धारण असंवैधानिक था और संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का उल्लंघन है क्योंकि यह उस स्तर पर अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है।

10. कर्नाटक सरकार द्वारा दायर अपील और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका पर एक साथ सुनवाई की गई और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन (सुप्रा) में इस न्यायालय के एक सामान्य निर्णय लिया गया। दिनांक 08.12.1993 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय को बरकरार रखा। इसके बाद, राज्य सरकार ने इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप दिनांक 22.04.1994 को एक आदेश दिया जिसमें कहा गया कि बच्चों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा वह भाषा होगी जिसमें पहली से चौथी कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। उक्त आदेश में, राज्य सरकार ने उन शैक्षणिक संस्थानों को, जिन्हें 1989 से पहले प्राथमिक शिक्षा में पहली से चौथी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने की अनुमति दी गई थी, छूट दे दी है। इससे असंगति पैदा हुई क्योंकि उक्त

छूट के मद्देनजर, प्राथमिक विद्यालयों की दो श्रेणियां होंगी, जिसमें 1989 से पहले अंग्रेजी माध्यम से शुरू किए गए एक सेट में प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी में जारी रहेगी, जबकि 1989 के बाद शुरू हुए प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक शिक्षा देने के लिए बाध्य थे। मातृभाषा में शिक्षा. जब यह विरोधाभास सरकार के ध्यान में लाया गया, तो सरकार ने तुरंत आदेश दिनांक 22.04.1994 को एक अन्य आदेश दिनांक 29.04.1994 द्वारा संशोधित कर छूट हटा दी।

11. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के एसोसिएटेड प्रबंधन, कर्नाटक ने उपरोक्त दो जीओ दिनांक 22.04.1994 और 29.04.1994 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष 1994 की रिट याचिका संख्या 14363 दायर की। राज्य सरकार ने रिट याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज की, जिसमें कहा गया कि दिनांक 08.12.1993 के फैसले द्वारा, राज्य सरकार की नीति मातृभाषा को उस भाषा के रूप में निर्धारित करती है जिसमें पहली से चौथी कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, इसे संवैधानिक रूप से वैध माना गया है। इस न्यायालय और आक्षेपित आदेशों में समानता थी कि दोनों में यह निर्धारित किया गया था कि पहली से चौथी तक की प्राथमिक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा होगी। पूर्ण पीठ जिसके समक्ष उक्त रिट याचिका पोस्ट की गई थी, अंततः 02.07.2008 को यह कहते हुए समाप्त हुई कि सरकार के आदेश दिनांक

22.04.1994 और 29.04.1994 केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू थे, लेकिन निजी और गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों पर नहीं। वे सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल भी थे।

अपीलकर्ताओं की दलीलें:

12. कर्नाटक राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पीपी राव ने हमें संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 के प्रावधानों और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के बारे में जानकारी दी। संक्षेप में 'आरटीई अधिनियम') के साथ-साथ इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय का पालन न करके एक त्रुटि की, जिसमें इस न्यायालय ने सरकारी आदेश को बरकरार रखा था। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। उन्होंने यह भी बताया कि उच्च न्यायालय ने भी यह कहकर एक गलती की है कि इस न्यायालय ने इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया कि क्या माता-पिता या छात्र को प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार है, जब वह था इसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया बहुत ही प्रश्न था और इस न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि माता-पिता और बच्चे ("छात्र") को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम

को चुनने का मौलिक अधिकार है, जबकि बड़े राष्ट्रीय और शैक्षिक में राज्य द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के विपरीत बच्चों की रुचि. उनके अनुसार, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 350ए पर ध्यान देने में विफल रहा, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने और राज्य को सशक्त बनाने के लिए राज्य और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। अपनी शिक्षा नीति निर्धारित करने के लिए कि प्राथमिक शिक्षा संबंधित बच्चों की मातृभाषा में होगी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने समान रूप से यह मानने में गलती की है कि प्राथमिक शिक्षा केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के संबंध में मातृभाषा में होगी, इस तथ्य के बावजूद कि सभी स्कूल मान्यता प्राप्त स्कूलों के रूप में एक ही श्रेणी के हैं और अकेले ही शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्राथमिक शिक्षा के मामले में एक समान नीति रखने की सरकार की नीति न केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू होती है, बल्कि गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर भी लागू होती है, जिसे अंग्रेजी माध्यम छात्र अभिभावक संघ (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

13. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करने वाले कन्नड़ भाषा के लिए लड़ने वाले शिक्षाविदों के रूप में दावा करने वाले व्यक्तियों ने भी इसी तरह के तर्क अपनाए।

उत्तरदाताओं के तर्क:

14. दूसरी ओर, गैर सहायता प्राप्त प्रबंधन स्कूलों, भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों, अभिभावकों और छात्रों की ओर से पेश हुए विभिन्न विद्वान वकीलों ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के पहले के फैसले, अर्थात् अंग्रेजी माध्यम छात्र अभिभावक संघ (सुप्रा) ने शिक्षा के माध्यम पर ध्यान नहीं दिया और उसमें मुद्दा यह था कि मातृभाषा/कन्नड़ एक भाषा है और माता-पिता/बच्चों को अपनी पसंद के अनुसार माध्यम चुनने का पूरा अधिकार है। उनके विचार में, उच्च न्यायालय उन अपमानजनक धाराओं को रद्द करने में पूरी तरह से उचित है और राज्य और अन्य व्यक्तियों द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद में कोई योग्यता नहीं है जो राज्य के रुख का समर्थन कर रहे हैं।

बहस:

15. हमने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है, संवैधानिक प्रावधानों, विवादित आदेशों के विभिन्न खंडों और दोनों पक्षों द्वारा लिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

16. दोनों पक्षों का पूरा तर्क यह है कि क्या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन (सुप्रा) में शिक्षा के माध्यम से संबंधित मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था और उस संबंध में कोई निर्णय आया था? उपरोक्त के आलोक में, इस मामले में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए उक्त निर्णय में निर्धारित अनुपात को समझना आवश्यक है।

17. पुनरावृत्ति की कीमत पर, बेहतर समझ के लिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन (सुप्रा) की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को दोहराना उपयोगी है। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होकर, डॉ. वीके गोकक को अध्यक्ष बनाकर छह व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया:

(i) क्या संस्कृत को स्कूली पाठ्यक्रम में अध्ययन का विषय बना रहना चाहिए?

(ii) यदि हां, तो कन्नड़ का विकल्प बने बिना इसे कैसे बरकरार रखा जाए?

(iii) क्या त्रिभाषा फार्मूले के अनुसार कन्नड़ को अनिवार्य विषय के रूप में रखना उचित होगा और क्या शेष दो भाषाओं को चुनने का विकल्प छात्रों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए?

18. समिति ने 27 जनवरी, 1981 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे डॉ. गोकक समिति रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। सिफ़ारिशों का सार इस प्रकार है:

(i) कन्नड़ को तीसरी कक्षा से सभी बच्चों के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में पेश किया जाना चाहिए;

(ii) 150 अंकों के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों (अर्थात 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा) के लिए कन्नड़ एकमात्र पहली भाषा होनी चाहिए, और इसे 1981-82 से ही कन्नड़ भाषी लोगों के लिए और 1986 से अन्य लोगों के संबंध में लागू किया जाना चाहिए। -87, शैक्षणिक वर्ष 1981-82 से ही उन्हें तीसरी कक्षा से कन्नड़ पढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के बाद।

19. उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करने पर, राज्य सरकार ने एक भाषा नीति का मसौदा तैयार करते हुए दिनांक 30.04.1982 को एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि कन्नड़ या मातृभाषा, पहली भाषा होगी। चूँकि यह महसूस किया गया कि दिनांक 30.04.1982 का आदेश कन्नड़ भाषी लोगों की आकांक्षाओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है, सरकार ने पूरे मामले को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना उचित समझा। राज्य विधानमंडल ने संकल्प लिया कि हाई स्कूलों में, कन्नड़ 125 अंकों वाली एकमात्र पहली क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इसके

अलावा, एक छात्र 100 अंकों वाली कोई भी दो भाषाएँ पढ़ सकता है। उपरोक्त संकल्प के अनुसार, राज्य सरकार ने दिनांक 20.07.1982 को एक आदेश दिया जिसमें सरकार ने निर्देश दिया कि कन्नड़ एकमात्र पहली भाषा होगी। उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर कीं। यह तर्क दिया गया कि यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन है। प्रारंभ में, जब रिट याचिकाएँ एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आती थीं, तो मामलों को डिवीजन बेंच को भेज दिया जाता था। डिवीजन बेंच ने दिनांक 27.01.1984 के आदेश द्वारा उपरोक्त प्रश्न को पूर्ण बेंच को संदर्भित कर दिया। महासचिव, भाषाई अल्पसंख्यक संरक्षण समिति (सुप्रा) की पूर्ण पीठ ने अपनी राय इस प्रकार व्यक्त की:-

> "8. ....सरकार. आदेश दिनांक 20 जुलाई, 1982 अब तक यह प्राथमिक विद्यालय के प्रथम वर्ष से भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए कन्नड़ के अध्ययन को अनिवार्य विषय बनाने और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालयों को इसे शुरू करने के लिए बाध्य करने से संबंधित है। प्राथमिक विद्यालय के प्रथम वर्ष से एक अनिवार्य विषय और अब तक यह हाई स्कूलों

> में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कन्नड़ को एकमात्र पहली भाषा के रूप में लेने के लिए मजबूर करता है और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित हाई स्कूलों को कन्नड़ को एकमात्र पहली भाषा के रूप में पेश करने के लिए मजबूर करता है। माध्यमिक विद्यालय, संविधान के अनुच्छेद 29(1), 30(1) और 14 का उल्लंघन है।"

ऐसी राय देने के बाद, मामले को उसी के अनुसार निपटान के लिए डिवीजन बेंच को वापस भेज दिया गया और तदनुसार, दिनांक 25.01.1989 के फैसले द्वारा मामलों को खारिज कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ, कर्नाटक राज्य ने 1989 की सिविल अपील संख्या 2856-57 में अपील की।

20. पूर्ण पीठ के फैसले के बाद, इस न्यायालय के समक्ष सिविल अपील लंबित होने पर, कर्नाटक सरकार ने 19.06.1989 को एक जीओ जारी किया, जिसमें बताया गया कि पहली से चौथी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। उक्त आदेश का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:-

> "9. .....सरकार, यह आदेश देते हुए प्रसन्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में निम्नलिखित भाषा नीति लागू की जाएगी। "पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक, मातृभाषा शिक्षा का

माध्यम होगी, जहां यह उम्मीद की जाती है कि आम तौर पर परिशिष्ट-1 से केवल एक भाषा अध्ययन का अनिवार्य विषय होगी..." उपरोक्त जीओ की वैधता पर इस न्यायालय के समक्ष 1991 की रिट याचिका संख्या 536 में इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 29, 30 और 14 का उल्लंघन है।

21. इस बीच, 22.06.1989 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया, जो इस प्रकार है:

“16...उपरोक्त सरकार के आदेश भाग के पैरा (i) के लिए। आदेश दिनांक 19.6.1989 अर्थात, "पहली कक्षा से...अध्ययन के अधीन" शब्दों से निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक, जहाँ यह अपेक्षा की जाती है कि सामान्यतः मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होगी, परिशिष्ट-I से केवल एक भाषा अध्ययन का अनिवार्य विषय होगी।"

22. इस पृष्ठभूमि के साथ, दिनांक 08.12.1993 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने दिनांक 19.06.1989 के जीओ को

बरकरार रखते हुए रिट याचिका संख्या 536/1991 को गुणहीन बताते हुए खारिज कर दिया।

23. कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ दायर 1989 की सिविल अपील संख्या 2856-57 के संबंध में, यह माना गया कि उच्च न्यायालय की बहुमत की राय ने मामले को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा है और निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला है :-

"25....हमें उच्च न्यायालय के सुविचारित फैसले को बरकरार रखने में कोई कठिनाई नहीं है। वास्तव में, राज्य ने स्थिति को स्वीकार कर लिया है और दिनांक 19.6.89 को जीओ जारी किया है जो 1991 के डब्ल्यूपी संख्या 536 में लागू है।

इसलिए, सिविल अपीलें भी खारिज कर दी जाएंगी। हालाँकि, मामले की परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

24. दिनांक 08.12.1993 के पूर्वोक्त आदेश के आलोक में, कर्नाटक सरकार ने दिनांक 22.04.1994/ 29.04.1994 को संशोधित सरकारी आदेश जारी किए, जिसका उद्देश्य अपने पहले के आदेश दिनांक 19.06.1989 में निर्धारित अपनी नीति की फिर से पुष्टि करना है। अब, आइए उपरोक्त फैसले के आलोक में अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं की दलीलों का परीक्षण करें।

25. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि जीओ दिनांक 29.04.1994 कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर आधारित है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन (सुप्रा) में पुष्टि की गई है, इसलिए, कोई दुर्बलता नहीं है जो दिनांक 19.06.1989 के जीओ के आलोक में पारित किया गया।

26. जबकि उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन (सुप्रा) में निर्णय दिनांक 19.06.1989 के जीओ के संदर्भ में है, जबकि वर्तमान रिट याचिका का विषय वस्तु दिनांक 29.04.1994 का जीओ है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन (सुप्रा) में यह माना गया था कि दिनांक 19.06.1989 का आदेश चुनौती के लिए खुला नहीं है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर और कक्षा 1 से कक्षा 1 तक कन्नड़ का अध्ययन करने में कोई बाध्यता का तत्व नहीं था। 4 वीं जहां मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होगी, अनुसूची से केवल एक भाषा अनिवार्य होगी और कक्षा 3 से आगे कन्नड़ गैर-कन्नड़ भाषी छात्रों के लिए एक वैकल्पिक विषय होगा, जबकि इस रिट याचिका में लागू जीओ विचलित और विचलित है। दिनांक 19.06.1989 के जीओ से, जिसकी वैधता इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई थी। खंड 2, 3, 6 और 8 के तहत

वर्तमान आक्षेपित आदेश द्वारा कन्नड़ को गुप्त रूप से अनिवार्य बना दिया गया है। इसलिए, इस न्यायालय का निर्णय गुण-दोष के आधार पर वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने के रास्ते में नहीं आ सकता है। इसलिए, उत्तरदाताओं का तर्क यह है कि राज्य द्वारा नीति के तहत आश्रय लेने से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

27. उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने, दिनांक 02.07.2008 के आदेश द्वारा, आक्षेपित निर्णय में इस मुद्दे को निम्नलिखित शब्दों में तय किया: -

"79. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि ये धाराएँ दिनांक 19.06.1989 के सरकारी आदेश में स्पष्ट रूप से गायब थीं। इन्हें पहली बार सरकारी आदेश दिनांक 29.04.1994 में पेश किया गया है। इन खंडों की वैधता इस न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहले की कार्यवाही का विषय नहीं थी। इन धाराओं की संवैधानिक वैधता को पहले चुनौती नहीं दी गई थी, उक्त धाराओं के पक्ष या विपक्ष में कोई तर्क नहीं दिया गया था, न तो इस अदालत और न ही शीर्ष अदालत ने इन धाराओं की वैधता पर विचार किया और न ही कोई निर्णय दिया। यह पहली बार है, उपरोक्त धाराओं को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

इसलिए, उपरोक्त निर्णय इस रिट याचिका के मुद्दे को समाप्त नहीं करते हैं।

90. जैसा कि उपरोक्त पूर्ण पीठ के फैसले में दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है, विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या देश की मातृभाषा के अलावा प्राथमिक विद्यालय के प्रथम वर्ष से कन्नड़ का अध्ययन अनिवार्य करने वाला सरकारी आदेश उल्लंघनकारी था। संविधान के अनुच्छेद 14, 29 और 30 का और हाई स्कूल स्तर पर कन्नड़ को एकमात्र प्रथम भाषा के रूप में निर्धारित करने वाला सरकारी आदेश भी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 आैर 30 का उल्लंघन था। दिनांक 19.06.1989 के सरकारी आदेश में, जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के 32 के तहत रिट याचिका का विषय भी था, प्रश्न फिर से था कि परिशिष्ट- I से केवल एक भाषा अध्ययन का अनिवार्य विषय हो सकती है। पूर्ण पीठ ने पहले के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि इसमें कन्नड़ पढ़ने की बाध्यता थी और इसलिए यह अनुच्छेद 19, 21 आैर 30 का उल्लंघन था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस निष्कर्ष को बरकरार रखा। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने 19.06.1989 के बाद के सरकारी आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया क्योंकि I से IV मानक तक किसी विशेष भाषा का अध्ययन करने की कोई बाध्यता नहीं थी, जैसा कि सरकारी आदेश के खंड I से स्पष्ट है। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ पूर्ण पीठ के

फैसले का अनुपात, "यदि सरकारी नीति में कोई मजबूरी का तत्व है, जो भारतीय संविधान के तहत इस देश के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ऐसी नीति शून्य है और मौलिक अधिकारों को ऐसी सरकारी नीति पर हावी होना होगा। ऐसी बाध्यता के अभाव में अदालतों को सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह प्रश्न कि क्या किसी छात्र, माता-पिता या नागरिक को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के अलावा शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार है, उपरोक्त कार्यवाही का विषय नहीं था और उक्त प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था या शीर्ष न्यायालय द्वारा और उक्त कार्यवाही में उक्त बिंदु पर कोई निर्णय नहीं दिया गया। पिछली पूर्ण पीठ के फैसले में की गई आकस्मिक अभिव्यक्ति, टिप्पणियाँ, निष्कर्ष और सुझावों को विशेष रूप से संवैधानिक मामलों में अनुपातिक निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उक्त प्रश्न उक्त मामले में विचार के लिए नहीं उठा था। इसलिए यह तर्क कि इस रिट याचिका में शामिल प्रश्न पूरी तरह से इस न्यायालय और शीर्ष न्यायालय के पहले के फैसलों द्वारा कवर किए गए हैं, बिना किसी तथ्य के है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया है।

28. उपरोक्त अवलोकन के अनुसार, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि इंग्लिश मीडियम

स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन (सुप्रा) के इस न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मुद्दे पर विचार नहीं किया और विवादित फैसला सुनाया।

29. दिनांक 02.07.2008 के आक्षेपित निर्णय में अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं की दलीलों और उच्च न्यायालय के तर्क पर उचित विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में विचार किया गया मुद्दा अछूता नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन (सुप्रा) में निर्णय। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, 19.06.1989 के जीओ की वैधता को चुनौती देने के लिए रिट याचिका संख्या 536/1991 दायर की गई थी, जिसमें शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को पेश करने का प्रस्ताव किया गया था और इसे गुणहीन मानकर खारिज कर दिया गया है। इसलिए, उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को बरकरार रखा।

30. हालाँकि, यह भी उतना ही सही है कि दिनांक 22.04.1994/29.04.1994 के विवादित जीओ दिनांक 19.06.1989 के जीओ के समान नहीं थे। चूँकि उक्त आक्षेपित आदेश में कुछ अतिरिक्त खंड जोड़कर पहले के आदेश को फिर से तैयार किया गया था, जो उच्च

न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में विवाद का विषय था, आक्षेपित आदेश में विवादित खंडों का संदर्भ समय पर होगा: -

"कर्नाटक सरकार की कार्यवाही

विषय: प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में भाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में। राजकीय आदेश संख्या-ED 28 PGC94 बैंगलोर दिनांक 29.04.1994

1. xxx

2. शैक्षणिक वर्ष 1994-95 से सभी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 4 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या कन्नड़ होना चाहिए।

3. शैक्षणिक वर्ष 94-95 से पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले छात्रों को मातृभाषा या कन्नड़ माध्यम में पढ़ाया जाना चाहिए।

6. मौजूदा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा 1 से 4 तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की अनुमति केवल उन्हीं छात्रों को दी जा सकती है जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है।

8. यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने वाले सभी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा।"

इसलिए, राज्य का तर्क आंशिक रूप से सही है जब वह कहता है कि विवादित जीओ अर्थात 22.04.1994/ 29.04.1994 वास्तव में 19.06.1989 के जीओ के समान हैं क्योंकि दोनों जीओ ने बच्चे को प्राप्त करने की आवश्यकता को निर्धारित किया है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में. हालाँकि, आक्षेपित आदेश में जोड़े गए अतिरिक्त खंड, अर्थात् खंड संख्या 2, 3, 6 और 8 बच्चे को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन करने के लिए मजबूर करते हैं, जिसका उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष गंभीरता से विरोध किया गया था।

31. आक्षेपित जीओ में इन अतिरिक्त खंडों की वैधता तय करते समय, उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सवाल यह है कि क्या एक छात्र, माता-पिता या नागरिक को प्राथमिक स्तर पर माँ के अलावा शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन (सुप्रा) मामले में जीभ या क्षेत्रीय भाषा का फैसला नहीं किया गया था और इसे तय करने की स्वतंत्रता ली गई थी।

32. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ पहले ही इस निर्णय पर पहुंच चुकी है कि क्या अंग्रेजी माध्यम छात्र अभिभावक संघ (सुप्रा) में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, हमारा विचार है कि एक ही मुद्दे पर समान संख्या में न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अलग-अलग आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं है। यदि

हम प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं कि एक छात्र या माता-पिता या नागरिक को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार है, तो हम वास्तव में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन (सुप्रा) के फैसले का खंडन करेंगे। जो भाषा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को कायम रखता है।

33. अत्यंत उत्सुकता से विचार करने के बाद, हमारी राय है कि यह एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए उपयुक्त मामला है।

34. याचिका में उठाए गए सभी आधारों का सार यह है कि राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को लागू किया जा सकता है।

35. इस याचिका में शामिल महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे देश में बच्चों के विकास पर दूरगामी महत्व रखता है जो भविष्य में वयस्क हैं। किसी बच्चे के प्राथमिक विद्यालय के वर्ष उसकी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण चरण होते हैं। इसके अलावा, यह सोच प्रक्रिया को ढालता है और संचार कौशल सिखाता है। इस प्रकार, प्राथमिक शिक्षा भविष्य की शिक्षा और सफलता के लिए आधार तैयार करती है। संक्षेप में, प्राथमिक शिक्षा जो कौशल और मूल्य पैदा करती है, वे मूलभूत से कम नहीं हैं और भविष्य की सभी शिक्षाओं के लिए आधार के रूप में काम करते हैं। इसी तरह, किसी भाषा के महत्व को भी कम करके नहीं आंका जा सकता; हमें याद रखना चाहिए

कि राज्यों का पुनर्गठन मुख्य रूप से भाषा पर आधारित था। इसके अलावा, इस मामले में शामिल मुद्दा न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी मौलिक अधिकारों से संबंधित है।

36. इन प्रश्नों के संवैधानिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारा दृढ़ मत है कि इन सभी मामलों की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए। उपरोक्त के संबंध में, निम्नलिखित प्रश्न संविधान पीठ द्वारा विचार हेतु प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैं:-

(i) मातृभाषा का क्या अर्थ है? यदि इसका आशय उस भाषा से है जिसमें बालक सहज हो, तो इसका निर्धारण कौन करेगा?

(ii) क्या किसी छात्र या अभिभावक या नागरिक के पास प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार है?

(iii) क्या मातृभाषा को लागू करने से संविधान के अनुच्छेद 14,19,29 एवं 30 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार प्रभावित होंगें?

(iv) क्या शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय मे सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त और निजी एवं गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय भी शामिल है?

(v) क्या राज्य के संविधान के अनुच्छेद 350ए के आधार पर भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा को चुनने के लिए बाध्य कर सकती है।

उपरोक्त मुद्दों के अलावा, संविधान पीठ मामले की सुनवाई के दौरान उठने वाले अन्य सहायक या आकस्मिक प्रश्नों पर भी विचार करेगी।

37. उपरोक्त के संबंध में, याचिकाओं/आवेदनों सहित सभी जुड़े मामलों को संविधान पीठ के समक्ष रखा जाएगा। चूंकि यह मामला वर्ष 1994 में शुरू हुआ था, इसलिए मामले का शीघ्र निपटान वांछनीय है। इसलिए, रजिस्ट्री को आवश्यक निर्देशों के लिए इसे भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है।

मामला संवैधानिक पीठ को संदर्भित किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डा० प्रभात अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।